राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 249वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 249वीं बैठक दिनांक 19/07/2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे, स्थान–सभाकक्ष, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नया रायपुर में श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के निम्न सदस्य उपस्थित थेः–

1. श्री अरविन्द कुमार गौराहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री अरुण प्रसाद, सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

प्रारंभ में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति के सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। ऐजेण्डा के क्रम में निम्नानुसार चर्चा की गईः–

ऐजेन्डा आईटम नं.–1: 248वीं बैठक दिनांक 18/07/2018 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 248वीं बैठक दिनांक 18/07/2018 को आयोजित की गई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है तथा समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा। इसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

ऐजेन्डा आईटम नं.–2: औद्योगिक परियोजना, मुख्य खनिज परियोजना एवं रिव्हरवेली परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर बाबत् निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स रेडिएन्ट कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गतोरा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (669)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन/ 21623/2018, दिनांक 12/01/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नम्बर 482/1, 482/2, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493/1, 493/2, 493/3, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 508/2, 508/3, 508/4, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 512/3, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524/1, 524/2, 525, 554, 555 एवं अन्य, ग्राम–गतोरा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर,

के अंतर्गत कुल एरिया 17.6 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन /वर्ष (वेट टाईप कोल वॉशरी) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 15 करोड़ है।

पूर्व बैठक का विवरण – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ कोल वॉशरी स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत करे।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों (यदि कोई हो) हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
4. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।
5. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाये।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, रॉ–कोल, वाश्ड कोल, रिजेक्ट कोल के परिवहन रुट एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
7. ठोस अपशिष्टों (रिजेक्ट कोल एवं कोल स्लज) के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
8. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
9. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत किया जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये।
10. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/07/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – प्रस्तुतीकरण के लिए परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा

आवेदित प्रकरण को वापस लेने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 16/07/2018 (प्राप्ति दिनांक 19/07/2018) को प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को वापस लेने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स मटिया लाईम स्टोन माईन (श्री भूपेन्द्र साहू), ग्राम–मटिया, तहसील व जिला–रायपुर (670)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन/ 72889/2018, दिनांक 15/01/2018।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नम्बर 544, ग्राम–मटिया, तहसील व जिला–रायपुर के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 2.933 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 24052.5 टन / वर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान (खदान से उत्खनन प्रारंभ के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान) की प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न क्या माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट की जाये। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दिया जाये।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये। साथ ही क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति (अद्यतन स्थिति में) प्रस्तुत की जाये।
5. यह स्पष्ट किया जावे कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 16/07/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2018 द्वारा सूचना दिया गया कि अपरिहार्य

कारणों से प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माह अगस्त में आयोजित बैठक में उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाये।
2. साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. कुदरी बैराज निर्माण परियोजना, जल संसाधन विभाग, ग्राम–कुदरी, तहसील–बलोदा, जिला –जांजगीर–चांपा (1222)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /आरआईव्ही/ 21689/2014, दिनांक 18/01/2018।

प्रस्ताव का विवरण – यह बैराज निर्माण परियोजना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कुदरी, तहसील–बलोदा, जिला–जांजगीर–चांपा में कुदरी बैराज के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) संबंधी जानकारी – पूर्व में एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2825 दिनांक 28/09/2015 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(सी) रिवर वेली प्रोजेक्ट्स हेतु निर्धारित टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) लोक सुनवाई सहित जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/01/2018 (दिनांक 18/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन) को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

पूर्व बैठक का विवरण – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाये।
2. पूर्व में जारी टीओआर के शर्तो के पालन की बिंदुवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. लोक सुनवाई उठाये गये आपत्ति / सुझाव / मुद्दो की बिंदुवार जानकारी एवं इनके निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण (पर्यावरण प्रबंधन योजना सहित) प्रस्तुत की जाये।

4. परियोजना के निर्माण कार्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाये।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 11/07/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती / जानकारी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अनिल कुमार तिवारी, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पर्यावरण सलाहकार, मेसर्स एनाकॉन लैब प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर की ओर से डॉ. अतुल वामेरकर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. पूर्व में जारी टीओआर का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
3. बैराज का निर्माण कार्य मार्च 2016 में पूर्ण हो चुका है, जिसके जल का उपयोग छत्तीसगढ़ पॉवर जनरेशन कंपनी, मंड़वा, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा किया जा रहा है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि टीओआर हेतु आवेदन के समय डूबान क्षेत्र (Submergence Area) नहीं होना बताया गया था। परियोजना निर्माण के समय योजना डिजाईन में परिवर्तन होने से परियोजना के अंतर्गत (निर्माण क्षेत्र 3.03 हेक्टेयर को छोड़कर) डूबान क्षेत्र (Submergence Area) 5.582 हेक्टेयर है।
5. **कुदरी बैराज संबंधी जानकारी –** परियोजना की जल स्टोरेज क्षमता 15.60 मिलियन घनमीटर है। एकत्रित जल का औद्योगिक इकाईयों मेसर्स छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, मड़वा – 60 मिलियन घनमीटर / वर्ष, मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा – 15.25 मिलियन घनमीटर / वर्ष तथा मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, अमझर – 1.50 मिलियन घनमीटर / वर्ष को प्रदाय किया जाता है। साथ ही ग्रीष्मऋतु में घरेलू जल आपूर्ति एवं खरीफ फसल हेतु समीपस्थ ग्रामों में उदवहन सिंचाई (लिफ्ट एरिगेशन) के माध्यम से जल का उपयोग किया जाता है। केचमेंट एरिया 7795 वर्ग कि.मी. है। यह बैराज हसदेव नदी में बनाया गया है। बैराज की कुल लंबाई 412.14 मीटर तथा अधिकतम ऊँचाई 6.05 मीटर है। बैराज में कुल 30 गेट (साईज 12 गुणा 6 मीटर) बनाया गया है। ब्रिज की चौड़ाई 7.5 मीटर है। उद्योगों में जल की आपूर्ति पाईप लाईन से की जाती है।
6. 10 कि.मी. की परिधि में अंतराज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
7. **लोक सुनवाई संबंधी जानकारी –**
   - लोक सुनवाई दिनांक 07/07/2017 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान प्राथमिक शाला कुदरी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा में संपन्न हुई। लोक

सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर के पत्र दिनांक 10/08/2017 द्वारा प्रेषित किया गया है।

- लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय द्वारा सराहना करते हुये बैराज निर्माण का स्वागत किया गया। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बैराज के समीपस्थ निजी भूमि का मुआवजा राशि नहीं दिये जाने बाबत् शिकायत की गई। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है।

8. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी :–**

- मॉनिटरिंग कार्य मार्च से मई 2016 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 06 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 05 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 06 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन एवं 06 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 14 से 26 माईक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 41 से 71 माईक्रोग्राम / घनमीटर, एसओ$_2$ 09 से 21 माईक्रोग्राम / घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 11 से 24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर दिन में 49 डीबीए से 68 डीबीए एवं रात्रि में 35 डीबीए से 53 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्ताव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इस प्रकार ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण मंडल को परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की अनुशंसा की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण मंडल को स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने बाबत् अनुरोध किया जाये।
2. चूंकि वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में डूबान क्षेत्र (Submergence Area) होना बताया गया है, अतः ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रकरण केटेगरी 'ए' के अंतर्गत आने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति केंद्रीय स्तर अर्थात् भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित करने की अनुशंसा की गई। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत नस्ती मंगाए जाने पर प्रेषित किए जाने की अनुशंसा भी की गई।
3. परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डिलिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे। साथ ही सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रतिलिपि प्रेषित की जावे।

ऐजेन्डा आईटम नं.–3: औद्योगिक परियोजनाओं एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परियोजना संबंधी प्रकरणों की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत पुनर्विचार कर प्रकरणों के पर्यावरणीय स्वीकृति /टीओआर बाबत् निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स गहिरा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर (650)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 70936/ 2017, दिनांक 14/11/2017।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित परियोजना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 353/1 एवं 353/2, कुल एरिया 2.22 हेक्टेयर, ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर, एम.एस. इंगॉट/बिलेट थ्रु इंडक्शन फर्नेस क्षमता–59,900 टन/वर्ष, री–रोल्ड प्रोडक्ट्स– 56,905 टन/वर्ष एवं एम.एस. पाईप/ट्युब क्षमता–55,700 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 2500 लाख होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/11/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी की जाये।
4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
5. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
6. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 241वीं बैठक दिनांक 25/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सोहन लाल सिंघानिया, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में उद्योग स्थापित नहीं है। यह एक नवीन परियोजना है एवं प्रस्तावित परियोजना में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की जावेगी।

3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ शहर रायपुर 08 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 08 कि.मी. की दूरी पर है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर है।

   - परियोजना के उत्तर दिशा में स्थल से लगा हुआ मेसर्स सरस्वती विद्युत सी. एस.आई.डी.सी. द्वारा अलॉटेड भूमि 80 मीटर, मेसर्स श्री बजरंग पेंट 400 मीटर एवं मेसर्स श्री बजरंग पॉवर लिमिटेड 480 मीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण दिशा में स्थल से लगा हुआ मेसर्स सरस्वती विद्युत सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अलॉटेड भूमि, मेसर्स गोयल एनर्जी, मेसर्स रामा पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड 80 मीटर एवं मेसर्स सी.एस.पी.डी.सी.एल. सबस्टेशन 380 मीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व दिशा में स्थल से लगा हुआ मेसर्स सरस्वती विद्युत सी. एस.आई.डी.सी. द्वारा अलॉटेड भूमि, मेसर्स इण्डस स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड 130 मीटर एवं मेसर्स बी.के. रोलिंग मिल 450 मीटर एवं मेसर्स बी.के. ग्लास 460 मीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा में प्राइवेट इण्डस्ट्रीयल लेण्ड 80 मीटर एवं मेसर्स अलंकार स्टील्स मिल्स (री–रोलिंग मिल) 600 मीटर की दूरी पर स्थित है।

   - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** शेड का क्षेत्रफल 0.61 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल 0.63 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.73 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2.22 हेक्टेयर है।

6. **रॉ–मटेरियल –** इंडक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन–56,905 टन/वर्ष, पिग आयरन/ हैवी स्क्रैप–8,985 टन/वर्ष एवं फेरो एलॉयज–599 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। ऑनलाईन हॉट चार्जिंग आधारित री–रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट बिलेट–59,900 टन/वर्ष तथा एम.एस. पाईप/ट्यूब मेकिंग में रॉ–मटेरियल के रूप में एम.एस. स्ट्रीप्स–56,905 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा।

7. **प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –** इण्डक्शन फर्नेस (03 गुणा 10 टन) विथ सी.सी.एम. एवं हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल की स्थापना की जावेगी। रोलिंग मिल में 12 स्ट्रैण्ड लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही स्टील पाईप मिल द्वारा री–रोल्ड स्टील को पाईप का रुप दिया जायेगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एम.एस. पाईप मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण किया जावेगा।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – मिल स्केल – 1198 टन/वर्ष, स्लेग – 8540 टन/वर्ष एवं मिस रोल एवं एण्ड कटिंग – 1198 टन /वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉय इकाईयों को विक्रय जायेगा। स्लेग को मेटल रिकव्हरी युनिट्स को उपलब्ध कराया जायेगा। मिस रोल एण्ड इण्ड कटिंग को इण्डक्शन फर्नेस में पुर्नउपयोग किया जायेगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत –** परियोजना हेतु 36 कि.ली/दिन (घरेलू उपयोग हेतु 03 कि.ली/दिन एवं अन्य हेतु 33 कि.ली/दिन) का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति बोर वेल से किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण –** घरेलू दूषित जल की मात्रा 02 घनमीटर/दिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट बनाई जावेगी। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को पुर्नउपयोग किया जावेगा। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन –** उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 05 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 03 मीटर एवं गहराई 10 मीटर) निर्मित किया जावेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता 15,468 घनमीटर होगी।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी –** उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार यह एक नवीन परियोजना है। अतः प्रस्तावित फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.303 टन/वर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित

जल को पुनःउपयोग किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। इकाई से मिस कास्ट, मिल स्केल एवं स्लेग 10936 टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा।

12. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 10 मेगावॉट विद्युत खपत होना प्रस्तावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जावेगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल का 0.73 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/12/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया हैः–

> ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में प्रस्तुत अभिमत क्षमता विस्तार क्रियाकलाप के संबंध में लिया गया था, परन्तु यह एक नवीन परियोजना है। अतः उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर को तद्नुसार अभिमत प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जावे। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स प्रयास स्टील (प्रो. कौशल पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम–सांकरा, सिलतरा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेज II, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (643)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 70755/ 2017, दिनांक 03/11/2017।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लाट नं. 05, 06, 07 एवं 08, कुल एरिया 2.91 हेक्टेयर (7.202 एकड़), ग्राम–सांकरा, सिलतरा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेज II, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर में माईल्ड स्टील इंगाट्स / बिलेट्स (थ्रु इंडक्शन फर्नेस) क्षमता– 30,000 टन/वर्ष से 59,500 टन/वर्ष, री–रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता – 56,500 टन/वर्ष एवं एम.एस. पाईप क्षमता – 55,400 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 2754.82 लाख होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/11/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी की जाये।
4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
5. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
6. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 240वीं बैठक दिनांक 24/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सुदीप अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से एम.एस. इंगाट्स क्षमता 30,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 01/07/2017 को जारी की गई है।

4. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

5. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ शहर रायपुर 20 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 15 कि.मी. की दूरी पर है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर है।

   - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – शेड का क्षेत्रफल 0.90 हेक्टेयर, रोड एवं पेव्ड क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.65 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.96 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2.91 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। परियोजना स्थल औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेज II के अंतर्गत आता है एवं भूमि सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा प्रदाय की गई है।

7. **रॉ–मटेरियल** – इंडक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन– 56,050 टन/वर्ष, पिग आयरन/ हैवी स्क्रेप– 8,850 टन/वर्ष, एवं फेरो एलॉयज– 590 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट मेटल– 59,500 टन/ वर्ष तथा पाईप मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में एम.एस. स्ट्रीप्स– 56,500 टन/ वर्ष का उपयोग किया जावेगा। इंडक्शन फर्नेस के रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

8. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

   - वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से एम.एस. इंगाट्स का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस (2X8 टन) स्थापित है एवं क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (1X8 टन) एवं हॉट चार्जिंग आधारित न्यु रोलिंग मिल (स्ट्रीप) क्षमता–56,500 टन एवं एम.एस. पाइप मिल क्षमता– 55,400 टन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल से प्राप्त मैटल स्ट्रीप को पाइप मिल में उपयोग कर एम.एस. पाइप निर्मित किया जावेगा। प्रस्तावित रोलिंग मिल हॉट चार्जिंग सिस्टम से कार्य करेगा तथा इस हेतु री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किया जावेगा।

   - वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् उद्योग में कोयला/फर्नेस ऑयल या अन्य किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं किया जावेगा।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् स्थापित बेग फिल्टर का उन्नयन किया जाकर चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना प्रस्तावित नहीं की गई है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल – 1412 टन / वर्ष, स्लेग – 8790 टन / वर्ष एवं मिस रोल एवं एण्ड कटिंग – 1412 टन / वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉय प्लांटो को विक्रय जायेगा। स्लेग को मेटल स्लेग मेटल रिकाव्हरी युनिट्स को दिया जावेगा। एण्ड कटिंग को पुनः इंडक्शन फर्नेस में उपयोग किया जायेगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत –** परियोजना हेतु 29 घनमीटर/दिन (घरेलू उपयोग हेतु 03 घनमीटर/दिन एवं अन्य हेतु 26 घनमीटर/दिन) का उपयोग किया जावेगा। वर्तमान में भू–जल से जल की आपूर्ति की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण –** औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जावेगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल (01 घनमीटर/दिन) के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन –** जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना है इस हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु आवेदन किया गया है। उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 05 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 01 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) निर्मित किया जावेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता– 21,110 घनमीटर होगी।

12. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी –** सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.35 टन/वर्ष है। प्रस्तावित फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.30 टन/वर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में इकाई से स्लेग 4,730 टन / वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् स्लेग 8,790 टन / वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

13. **विद्युत खपत –** क्षमता विस्तार उपरांत 7.80 मेगावॉट विद्युत खपत होना प्रस्तावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 01 नग डी.जी. सेट 810 के.व्ही.ए. क्षमता का लगाया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में परिसर के भीतर 500 नग पौधे रोपित किये गये थे। हरित पट्टिका के विकास हेतु 03 माह में 0.96 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2,000 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/12/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया हैः–

> ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. मेसर्स एच.एस.आर. री–रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उरला, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर (662)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 72068/ 2018, दिनांक 04/01/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् प्लॉट नं. 194 से 199, 255 से 236 एवं 238, कुल एरिया 4.64 एकड़, ग्राम–उरला, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर, स्थापित रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 56,860 टन/वर्ष (पलव्राईज्ड कोल फायर्ड रोलिंग मिल क्षमता–2,000 टन/वर्ष, हॉट चार्जड इंडक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल क्षमता–54,860 टन/वर्ष) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 11.89 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/01/2017 के द्वारा निम्न जानकारियॉ / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं ? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।

5. ग्राउण्ड वॉटर रिर्चाजिंग हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टींग की व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 245वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री निशांत खेतान, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से री–रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता 30,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 10/02/2017 को जारी की गई है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ शहर बीरगांव 680 मीटर एवं रायपुर 2.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन उरकुरा 3.4 कि.मी. एवं रायपुर 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 4.4 कि.मी. की दूरी पर है।

   - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** शेड का क्षेत्रफल 0.37 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.66 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 1.877 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

6. **रॉ–मटेरियल –** इंडक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन–51,200 टन/वर्ष, पिग ऑयरन/स्क्रैप–15,360 टन/वर्ष एवं फेरो एलॉयज–640 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। पलव्राईज्ड कोल फायर्ड रोलिंग मिल क्षमता–2,000 टन/वर्ष में रॉ–मटेरियल के रूप में स्टील इंगाट्स/बिलेट्स–2,100 टन/वर्ष एवं कोल – 200 टन/वर्ष का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् इंडक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल क्षमता–54,860 टन/वर्ष में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट इंगाट्स/बिलेट्स–57,600 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। इंडक्शन फर्नेस

एवं रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जावेगा। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

- वर्तमान में 03 रोलिंग मिल द्वारा कुल क्षमता 30,000 टन / वर्ष से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में 03 रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है। जिसके अंतर्गत 24,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल कोल गैसीफॉयर (क्षमता 1,500 सामान्य घनमीटर/घंटा) आधारित, 4,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल एवं 2,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल पलव्राईज्ड कोल फायर्ड पर आधारित है। 24,000 टन/वर्ष एवं 4,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल को हॉट चार्जड सिस्टम में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। कोल गैसीफॉयर एवं 4,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल में स्थापित री–हीटिंग फर्नेस को डिसमेंटल किया जाना प्रस्तावित है।

- क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् 02 रोलिंग मिल को हॉट चार्जड सिस्टम आधारित रोलिंग मिल में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रोलिंग मिल में वर्तमान की तुलना में 5,345 टन / वर्ष कोल के उपयोग में कमी होगी। पलव्राईज्ड कोल फायर्ड आधारित रोलिंग मिल क्षमता 2,000 टन / वर्ष को यथावत् रखा जावेगा।

- क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् इंडक्शन फर्नेसेस (02 गुणा 10 टन) क्षमता– 57,600 टन/वर्ष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इंडक्शन फर्नेसेस से प्राप्त 57,600 टन/वर्ष हॉट मेटल को हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल में उपयोग कर, 54,860 टन/वर्ष री–रोल्ड प्रोडक्ट्स एवं वर्तमान में स्थापित पलव्राईज्ड कोल फायर्ड आधारित रोलिंग मिल क्षमता 2,000 टन / वर्ष के माध्यम से कुल री–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता 56,860 टन / वर्ष का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् स्थापित बेग फिल्टर का उन्नयन किया जाकर चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। पलव्राईज्ड कोल फायर्ड रोलिंग मिल क्षमता–2,000 टन/वर्ष में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु वर्तमान में साइक्लोन एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस/रोलिंग मिल से मिल स्केल – 2.5 टन/दिन, स्लेग – 20 टन/दिन एवं मिस रोल एण्ड इण्ड कटिंग – 6.6 टन/दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉय इकाईयों को विक्रय किया जायेगा। स्लेग को समीपस्थ स्लेग क्रशिंग युनिट्स को उपलब्ध कराया जावेगा। एण्ड कटिंग को पुनः इंडक्शन फर्नेस में उपयोग किया जायेगा। हॉट चार्जिंग प्रोसेस में परिवर्तन के पश्चात् सिंडर उत्पन्न नहीं होगा। अपितु पलव्राईज्ड कोल फायर्ड रोलिंग मिल क्षमता–2,000 टन/वर्ष से कोल ऐश 0.30 टन/दिन उत्पन्न होगा।

जिसे समीपस्थ ब्रिक्स प्लांट्स को विक्रय किया जावेगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – स्थापित परियोजना हेतु 15 घनमीटर/दिन (घरेलू उपयोग हेतु 02 घनमीटर/दिन एवं अन्य उपयोग हेतु 13 घनमीटर/दिन) जल की खपत होती है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 38 घनमीटर /दिन (घरेलू उपयोग हेतु 05 घनमीटर/दिन एवं अन्य हेतु 33 घनमीटर/दिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जावेगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन –** उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 04 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 04 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) निर्मित किया जावेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये जावेगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता 10541 घनमीटर होगी।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी –** सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.5875 कि.ग्रा/घंटा होगी। प्रस्तावित सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.348 कि.ग्रा/घंटा होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में इकाई से कुल 14.2 टन/दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् कुल 29.1 टन/ दिन ठोस

अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार के पश्चात् (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि, (3) रोलिंग मिल में वर्तमान की तुलना में 5,345 टन / वर्ष कोल के उपयोग में कमी तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है, इसकी प्रतिपूर्ति के रुप में प्रस्तावित रेन वॉटर रिर्चाजिंग व्यवस्था से जल उपभोग की मात्रा से अधिक जल का भू–संचयन (स्थल में एकत्र होने वाले संपूर्ण वर्षा जल का हॉर्वेस्टिंग) किया जावेगा।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु आवश्यक विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जावेगी।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया कि वर्तमान में 600 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल का 0.607 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में वृक्षारोपण मार्च 2018 तक किया किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 31/01/2018 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:–

> ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।
3. प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्षमता जल उपभोग की मात्रा से काफी कम है। इसकी क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. मेसर्स एम.जे. स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर (654)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 71517/ 2017, दिनांक 09/12/2017।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लाट नं. 68, कुल एरिया 0.959 हेक्टेयर (2.37 एकड़), सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम –सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर, माईल्ड स्टील इंगाट्स / बिलेट्स (थ्रु इंडक्शन फर्नेस) क्षमता– 24,000 टन/वर्ष से 57,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 870 लाख होगा। वर्तमान में उद्योग सी.एस.आई.डी.सी. से लीज पर प्राप्त भूमि पर स्थापित है।

पूर्व बैठक का विवरण – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
4. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
5. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 243वीं बैठक दिनांक 27/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री विवेक अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करना आवश्यक है।
2. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - पूर्व में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से एम.एस. इंगाट्स क्षमता 24,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 17/06/2016 को जारी की गई है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ शहर रायपुर 15 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 15 कि.मी. की दूरी पर है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 30 कि.मी. की दूरी पर है।

   - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** शेड का क्षेत्रफल 0.18 हेक्टेयर, रोड एवं पेव्ड का क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.413 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.316 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 0.959 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

6. **रॉ–मटेरियल –** क्षमता विस्तार उपरांत इंडक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन– 57,321 टन/वर्ष, पिग आयरन/हैवी स्क्रैप–9,975 टन/वर्ष एवं फेरो एलॉयज– 1,010 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। इंडक्शन फर्नेस के रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जावेगा। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –** वर्तमान में 01 गुणा 10 टन क्षमता का इंडक्शन फर्नेस स्थापित एवं कार्यरत है। क्षमता विस्तार के तहत् (01 गुणा 12 टन) अतिरिक्त इंडक्शन फर्नेस लगाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत कुल क्षमता–57,000 टन/वर्ष होगी।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी व्यवस्था –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् स्थापित वेट स्क्रबर का उन्नयन किया जाकर बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत रनर रिसर एण्ड सेंटर कॉलम–1188 टन /वर्ष, स्लेग–8599 टन/वर्ष, मिस कास्ट एण्ड पाईपिंग एण्ड इण्ड कटिंग–1188 टन/वर्ष एवं रीफ्रेक्ट्री वेस्ट–100 टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। रनर रिसर एवं मिस कास्ट एण्ड पाईपिंग एण्ड इण्ड कटिंग को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में उपयोग किया जायेगा एवं सेंटर कॉलम को री–रोलिंग मिल को विक्रय किया जायेगा। स्लेग को मेटल रिकव्हरी युनिट्स को उपलब्ध कराया जायेगा। रीफ्रेक्ट्री वेस्ट को अधिकृत रिसायक्लर को उपलब्ध

कराया जायेगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत –** वर्तमान में परियोजना हेतु 14 घनमीटर/दिन (घरेलू उपयोग हेतु 02 घनमीटर/दिन एवं अन्य हेतु 12 घनमीटर/दिन) एवं क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 33 घनमीटर/दिन (घरेलू उपयोग हेतु 03 घनमीटर/दिन एवं अन्य हेतु 30 घनमीटर/दिन) का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति वर्तमान में छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत भी जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जावेगी। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित है। क्षमता विस्तार उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 02 घनमीटर/ दिन होगी, जिसका उपचार वर्तमान में स्थापित सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त जल को पुर्नउपयोग किया जाता है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन –** उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु 05 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जायेगा। जिसमें से 01 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 01 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) एवं अन्य 04 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 01 मीटर X चौड़ाई 01 मीटर X चौड़ाई 02 उंचाई) निर्मित किया जावेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता–5,995 घनमीटर होगी।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी –** सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.08 टन/वर्ष है। प्रस्तावित सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.45 टन/वर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग

किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में इकाई से कुल 6480 टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। क्षमता विस्तार के पश्चात् कुल 10975 टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में वृद्धि, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत खपत** – क्षमता विस्तार उपरांत 6.75 मेगावॉट विद्युत खपत होना प्रस्तावित है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जावेगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया कि वर्तमान में 30 नग वृक्षारोपण किया गया है। 0.316 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 650 नग वृक्षारोपण मार्च 2018 तक किया किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया हैः–

> ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया किः–

1. उद्योग से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। यह उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में है। अतः वर्तमान की तुलना में प्रदूषण भार कम सुनिश्चत करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर विचार किया जाना संभव होगा। अतः प्रदूषण भार कम करते हुए पुनः गणना कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।
3. प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्षमता जल उपभोग की मात्रा से काफी कम है। इसकी क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

4. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. मेसर्स ''लाईफ स्पेसेस'' ऑफ जी. टी. होम्स, ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–रायपुर (545)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/ एनसीपी/ 61492/ 2017, दिनांक 27/12/2016।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लाट नं. डी–7, सेक्टर–30, नया रायपुर (खसरा नं. 650, 651, 652, 653, 654, 655, 658 एवं 670), ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–रायपुर में कुल प्लाट एरिया–23733 वर्गमीटर (2.373 हेक्टेयर) पर कुल बिल्टअप एरिया–31320.92 वर्गमीटर से 42667.56 वर्गमीटर के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 41, दिनांक 17/04/2013 द्वारा कुल निर्मित क्षेत्र 31,320.92 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी जानकारी – भवन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 17/02/2014 के द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत् अनुमति दी गई है, जो अनुज्ञा दिनांक से एक वर्ष तक वैध थी।

समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी – निकटतम शहर रायपुर 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। रायपुर रेलवे स्टेशन 20 कि.मी., मंदिर हसौद रेल्वे स्टेशन 2.0 कि. मी. तथा एयरपोर्ट रायपुर 6.0 कि.मी. की दूरी पर है।

परियोजना के निर्माण संबंधी जानकारी – परियोजना शॉपिंग कम क्लब एवं 03 ब्लॉक बिल्डिंग है, जिसमें शॉपिंग कम क्लब हेतु निर्मित क्षेत्र 670.68 वर्गमीटर है। ए – ब्लॉक में प्रथम तल से नौवे तल तक कुल निर्मित क्षेत्र 11189.10 वर्गमीटर, बी – ब्लॉक में प्रथम तल से छठवे तल तक कुल निर्मित क्षेत्र 7379.28 वर्गमीटर एवं सी – ब्लॉक में प्रथम तल से नौवे तल तक कुल निर्मित क्षेत्र 23428.50 वर्गमीटर है। इस प्रकार कुल निर्मित क्षेत्र 42667.56 वर्गमीटर होगा। भवन की अधिकतम उचांई 26 मीटर होगी।

ठोस अपशिष्ट की मात्रा – प्रोजेक्ट से 0.995 टन/दिन ठोस अपशिष्ट जनित होगा, जिसमें से बायोडिग्रेडेबल 0.547 टन/दिन (55 प्रतिशत) एवं नॉन–बायोडिग्रेडेबल 0.448 टन/दिन (45 प्रतिशत) होगा। ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु शूट्स (Chutes) बनाया जावेगा।

जल उपयोग की मात्रा – ऑपरेशन फेस हेतु 289 किलोलीटर/ दिन जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर से किया जावेगा।

जल प्रदूषण संबंधी जानकारी :– प्रोजेक्ट से उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 210 किलोलीटर /दिन होगी, जिसे उपचार हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के उपचार संयंत्र में ले जाया जावेगा।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था – रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत खपत – प्रोजेक्ट में कुल 1700 किलोवॉट बिजली की खपत होना है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 50 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व बैठक का विवरण – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 215वीं बैठक दिनांक 12/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारियॉ / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावेः–

1. भवन निर्माण अनुज्ञा अनुमति अवधि में सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि कराकर प्रस्तुत किया जाये।
2. पूर्व में जिस परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, उसके निर्माण / पूर्ण होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने तथा विस्तार का प्रकरण होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. वृक्षारोपण का प्लान तथा वृक्षारोपण को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाये।

समिति द्वारा तत्समय यह भी निर्णय लिया था कि उपरोक्त जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 16/02/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 219वीं बैठक दिनांक 23/02/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री जी.एस. राजपाल, पार्टनर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. पूर्व में उपरोक्तानुसार वांछित बिंदुओ के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नही किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित बिल्टअप एरिया अनुसार निर्माण कार्य किया गया है। भवन निर्माण अनुज्ञा अनुमति अवधि वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अनुमति प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि शेष बिन्दुओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जावेगा।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि यह परियोजना क्षमता विस्तार के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ही कुल बिल्टअप एरिया 42713 वर्गमीटर हेतु आवेदन किया गया था, चुंकि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर द्वारा 18 मीटर उंचाई तक अनुमति दी गई थी। अतः 18 मीटर उंचाई तक कुल बिल्टअप क्षेत्र 31,320.92 वर्गमीटर

हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रकार यह प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन संबंधी है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन संबंधी होने के कारण परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत कर समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावेः–

1. परियोजना संबंधी लैण्ड एरिया स्टेटमेंट एवं बिल्टअप एरिया की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. उत्पन्न घरेलु दूषित जल की मात्रा, उपचार व्यवस्था, उपचारित दूषित जल के पुर्नउपयोग एवं निस्सारण व्यवस्था संबंधी वर्तमान में अपनाए गये एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
3. विभिन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों यथा संग्रहण, पृथकरण, परिवहन तथा अपवहन आदि संबंधी वर्तमान में अपनाए गये एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
4. कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास एक वर्ष के भीतर करने हेतु नक्शे में दर्शाते हुये विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
5. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संबंधी क्रियाकलापों संबंधी वर्तमान में अपनाए गये एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
6. उर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों यथा एल.ई.डी., सोलर लाईट, सोलर हीटर आदि संबंधी वर्तमान में अपनाए गये एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/03/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 221वीं बैठक दिनांक 21/03/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही की जावे।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 727 दिनांक 23/12/2017 के द्वारा सूचित किया गया। उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र दिनांक 15/01/2018 को प्रस्तुत किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 246वीं बैठक दिनांक 19/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/03/2017 के द्वारा चाही गई वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हुए केवल पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह जानकारी भी अपूर्ण है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार पूर्ण जानकारी / दस्तावेज 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु अंतिम मौका

प्रदान किया जावे। समयावधि में वांछित पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन डी–लिस्ट / निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगाः–

1. भवन निर्माण अनुज्ञा अनुमति अवधि में सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि कराकर प्रस्तुत किया जाये।
2. पूर्व में जिस परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, उसके निर्माण / पूर्ण होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. परियोजना संबंधी लैण्ड एरिया स्टेटमेंट एवं बिल्टअप एरिया की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. उत्पन्न घरेलु दूषित जल की मात्रा, उपचार व्यवस्था, उपचारित दूषित जल के पुर्नउपयोग एवं निस्सारण व्यवस्था संबंधी वर्तमान में अपनाए गये एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
5. विभिन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों यथा संग्रहण, पृथकरण, परिवहन तथा अपवहन आदि संबंधी वर्तमान में अपनाए गये एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
6. कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास एक वर्ष के भीतर करने हेतु नक्शे में दर्शाते हुये विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
7. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संबंधी क्रियाकलापों संबंधी वर्तमान में अपनाए गये एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
8. उर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों यथा एल.ई.डी., सोलर लाईट, सोलर हीटर आदि संबंधी वर्तमान में अपनाए गये एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

समिति द्वारा तत्समय यह भी निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने पर प्रस्तुतीकरण हेतु विचार किया जावेगा।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 31/01/2018 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/07/2018 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. भवन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर (छ.ग.) के पत्र दिनांक 02/04/2018 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि में दिनांक 16/02/2019 तक वृद्धि की गई है।
2. पूर्व में परियोजना हेतु 31320.92 वर्गमीटर, 18 मीटर उंचाई तक 6 फ्लोर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
3. परियोजना हेतु कुल भू–एरिया 2.373 हेक्टेयर जिस पर कुल निर्मित क्षेत्र 42667.56 वर्गमीटर है।
4. उत्पन्न घरेलु दूषित जल की मात्रा, उपचार व्यवस्था, उपचारित दूषित जल के पुर्नउपयोग एवं निस्सारण व्यवस्था नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर द्वारा किया जावेगा।

5. विभिन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों यथा संग्रहण, पृथकरण, परिवहन तथा अपवहन आदि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर द्वारा किया जावेगा।

6. वर्तमान में 10 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जा चुका है तथा हरित पट्टिका के विकास हेतु विवरण निम्नानुसार हैः—

Plantation Break-up Details	
Total Plot Area	23733 m^2
Landscape Gardan	Approx. 4600 m^2
Peripheral Plantation	3150 m^2
Peripheral Trees	Approx. 150
Peripheral Shrubs	Approx.15000
Landscape Plants	Approx.100
Landscape Shrubs	Approx. 25000

7. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संबंधी जानकारी गणना सहित एवं वर्तमान में अपनाए गये तथा प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

8. उर्जा संरक्षण हेतु कॉमन एरिया की सभी लाईटों हेतु एल.ई.डी. का उपयोग किया जावेगा, जिस हेतु सोलर उर्जा का प्रावधान किया जाना बताया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/ 74292/ 2018, दिनांक 12/04/2018, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन प्रकरण के आधार पर पुनः उपरोक्त ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन में मुख्य रुप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया हैः—

- परियोजना के बिल्टअप एरिया 42713.02 वर्गमीटर 24 मीटर उंचाई तक (प्लाट एरिया 23733 वर्गमीटर) पत्र दिनांक 21/07/2012 द्वारा निर्मित परियोजना हेतु आवेदन किया गया है।

- परियोजना में 18 मीटर उंचाई तक भवन निर्माण हेतु अनुमति नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया था। हाईरिस्क कमिटी द्वारा 31320.92 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल तथा 18 मीटर उंचाई तक निर्माण की अनुमति होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति 31320.92 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल तथा 18 मीटर उंचाई तक निर्माण हेतु जारी की गई थी।

- वर्ष 2014 में बिल्टअप एरिया 42713.02 वर्गमीटर 24 मीटर उंचाई तक की पूर्ण भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई।

- खुले क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल भवन की उंचाई में वृद्धि 02 अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण कर 18 मीटर से 24 मीटर किया गया है।

- समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत आवेदन/दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 02 अतिरिक्त फ्लोर अर्थात् पूर्व में 18 मीटर कुल उंचाई के 06 फ्लोर हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अतिरिक्त कुल 24 मीटर उंचाई के 08 फ्लोर का निर्माण कार्य (भवन की उंचाई में 18 मीटर से 24 मीटर की वृद्धि) कर लिया गया है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली

द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन प्रकरण होने के कारण समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार अनुशंसा की गईः–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित की जाये एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति अथवा अधिग्रहण प्रमाण पत्र जारी नहीं की जाये।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश हैः–

   "The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

   उपरोक्त निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाये।

3. ई.आई.ए. एवं इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान (ई.एम.पी.) तैयार करने हेतु टर्म्स ऑफ रिफर्रेंस (टीओआर):–

   i. Project description, its importance and the benefits.

   ii. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 km., coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.)

   iii. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.

   iv. Land acquisition status, R & R details.

   v. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 km-Clearance required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and /or the Environment (Protection) Act, 1986.

   vi. Baseline environmental study for ambient air (PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, NO_X & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF&CC/CPCB guidelines at minimum 5 location in the study area of 10 km.

   vii. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.

viii. Likely impact of the project on the environmental parameter (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic etc.)

ix. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and ground water (by CGWA) as the case may be, rain water harvesting etc.

x. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.

xi. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.

xii. Energy efficient measures (LED lights, solar power etc.) construction as well as during operational phase of the project.

xiii. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

xiv. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xv. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

xvi. As per O.M. dated 01/05/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, proposals regarding Corporate Environment Responsibility (C.E.R.) shall be incorporated.

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

6. मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर (637)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 67791/ 2017, दिनांक 04/09/2017।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 2/3, कुल एरिया 18.5 हेक्टेयर, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर, एम.एस. राउंड्स एण्ड सीटीडी बार क्षमता–37,500 टन/वर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन/वर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना स्थल पर एम.एस. इंगाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता–1,05,600 मिट्रिक टन/वर्ष, वॉयर ड्राइंग युनिट क्षमता–1,25,000 मीट्रिक टन/वर्ष, फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैन्युफेक्चरिंग प्लांट क्षमता–72,000 मीट्रिक टन/वर्ष, रोलिंग मिल क्षमता–1,50,000 मिट्रिक टन/वर्ष, कोल बेस्ड सी.पी.पी. 16 मेगॉवाट, रिफाइनिंग फर्नेस

क्षमता–03 एम.व्ही.ए. एवं कोल गैसीफॉयर प्लांट क्षमता 2 गुणा 5,800 सामान्य घनमीटर/घंटा का स्थापित एवं संचालित है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 15.56 करोड़ होगा। सी.एस.आई.डी.सी. के पत्र दिनांक 12/06/2007 द्वारा परियोजना स्थल (ग्राम–गोंदवारा) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित उरला ग्रोथ सेंटर में शामिल किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 238वीं बैठक दिनांक 13/10/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाये।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी की जाये।
5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
6. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
7. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 20/11/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 239वीं बैठक दिनांक 23/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री श्रवण कुमार गोयल, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के

संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/11/2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से इण्डक्शन फर्नेस रायपुर द्वारा हेतु दिनांक 30/05/2016 को एम.एस. राउंड, सी.टी.डी. बार आदि हेतु क्षमता 37,500 मीट्रिक टन/वर्ष तथा एम.एस. इंगाट/बिलेट 1,05,600 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है।

- वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ शहर रायपुर 4.5 कि.मी. की दूरी में स्थित है। स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा माना, रायपुर 24.5 किमी., रेल्वे स्टेशन उरकुरा 2.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी लगभग 6.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

- 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** फैक्ट्री शेड का क्षेत्रफल 1.85 हेक्टेयर, निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर, खुले क्षेत्र का क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर, रॉ–मटेरियल स्टोरेज एरिया का क्षेत्रफल 2.0 हेक्टेयर, स्क्रेप यार्ड का क्षेत्रफल 0.5, अन्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 5.3 हेक्टेयर, विस्तार हेतु क्षेत्र का क्षेत्रफल 1.65 हेक्टेयर, रोड एवं पार्किंग क्षेत्र का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर (कुल क्षेत्र का 20 प्रतिशत) है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 18.5 हेक्टेयर है।

6. **रॉ–मटेरियल –** रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में एम.एस. इंगाट/बिलेट –69,912 टन/वर्ष का उपयोग कर रोल्ड प्रोडक्स का उत्पादन किया जावेगा। एम.एस. इंगाट/बिलेट परिसर में स्थापित एस.एम.एस. युनिट क्षमता– 1,05,600 टन/वर्ष से प्राप्त किया जावेगा।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

- एम.एस. इंगाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता–1,05,600 मिट्रिक टन/वर्ष हेतु छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 27/11/2005 को जल एवं वायु सम्मति जारी किया गया एवं दिनांक 30/05/2016 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण किया गया। पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। क्षमता विस्तार के तहत् उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

- वॉयर ड्राइंग युनिट क्षमता–1,25,000 मिट्रिक टन/वर्ष एवं फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग प्लांट क्षमता–72,000 मिट्रिक टन/वर्ष हेतु छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 24/12/2010 को जल एवं वायु सम्मति जारी किया गया एवं दिनांक 01/08/2015 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण किया गया। पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। क्षमता विस्तार के तहत् उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

- रोलिंग मिल क्षमता–1,50,000 मिट्रिक टन/वर्ष, कोल बेस्ड सी.पी.पी. 16 मेगॉवाट एवं कोल गैसीफॉयर प्लांट क्षमता 2 गुणा 5,800 सामान्य घनमीटर/घंटा हेतु भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11/02/2008 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया गया। छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 26/06/2008 को जल एवं वायु सम्मति जारी की गई एवं दिनांक 03/03/2015 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण किया गया। क्षमता विस्तार के तहत् उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

- रिफाइनिंग फर्नेस क्षमता–03 एम.व्ही.ए. के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा जल एवं वायु सम्मति जारी की गई एवं दिनांक 26/08/2017 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया।

- पूर्व में बिलेट्स री–हीटिंग हेतु 37,500 टन/दिन क्षमता का ऑयल फायर्ड फर्नेस उपयोग किया जाता था। वर्ष 2013 से इस ऑयल फायर्ड फर्नेस का उपयोग नहीं कर हॉट चार्ज सिस्टम आधारित रोल्ड प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत् क्षमता 59,000 टन हॉट चार्जिंग सिस्टम से किया जाना प्रस्तावित है।

- वर्तमान में हॉट चार्जिंग सिस्टम आधारित रोलिंग मिल स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेस अथवा रोलिंग मिल की स्थापना नहीं की जावेगी। हॉट चार्जिंग सिस्टम आधारित रोलिंग मिल के क्षमता विस्तार हेतु स्थापित हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल के कार्य समय में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अतिरिक्त री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना/संचालन का प्रस्ताव नहीं है।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना प्रस्तावित नहीं की गई है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल – 2445 टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलायज निर्माण इकाईयों को विक्रय जायेगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

    - **जल खपत एवं स्त्रोत –** स्थापित परियोजना हेतु 13 घनमीटर/दिन (घरेलु उपयोग हेतु 01 घनमीटर./दिन एवं अन्य हेतु 12 घनमीटर/दिन) जल की

आवश्यकता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 20 घनमीटर/दिन (घरेलु उपयोग हेतु 02 घनमीटर/दिन एवं अन्य हेतु 18 घनमीटर/दिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति खारुन नदी से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – स्थापित परियोजना हेतु घरेलु दूषित जल की मात्रा 0.5 घनमीटर/ दिन है, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना की गई है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु घरेलु दूषित जल की मात्रा 1.0 घनमीटर/ दिन होगी। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुर्नउपयोग किया जाता है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 5010, दिनांक 26/10/2004 द्वारा खारुन नदी से 1.5 मिलियन घनमीटर / वर्ष जल उपयोग हेतु अनुमति ली गई है। भू–जल का उपयोग नहीं किया जाता है, जल की आपूर्ति खारुन नदी से किया जाता हैं एवं यह व्यवस्था क्षमता विस्तार के लिये भी लागू होगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 02 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किये गये है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेतु क्षमता–30,000 घनमीटर का वॉटर रिजर्ववॉयर निर्मित किया गया है।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल होने के कारण रोलिंग मिल से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा निरंक है। क्षमता विस्तार उपरांत हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल होने के कारण डस्ट उत्सर्जन की मात्रा शून्य होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में इकाई से 1540 टन / वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् 2445 टन / वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा यथावत (2) प्रतिवर्ष स्टील उत्पादन में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे फेरो एलॉयज इकाईयों में रिसायकल किया जावेगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत खपत –** वर्तमान में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट से विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं क्षमता विस्तार उपरांत 4000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी –** परियोजना में कुल क्षेत्र के 20 प्रतिशत क्षेत्र अर्थात् 3.7 हेक्टेयर क्षेत्र में 10,000 नग वृक्षारोपण किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी मंगाई जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/11/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया हैः–

1. ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''
2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया किः–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाये।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।

क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

7. मेसर्स शिवम स्ट्रक्चरल एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–अछोली, उरला, कन्हेरा रोड, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर (648)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 70933/ 2017, दिनांक 14/11/2017।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लांट नं. 40/2, 40/19, 40/20 एवं 40/21, कुल कुल एरिया 2.02 हेक्टेयर, ग्राम–अछोली, उरला, कन्हेरा रोड, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर इंडक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. क्षमता–59,900 टन/वर्ष, स्टील री–रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 56,905 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 1009.30 लाख होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/11/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी की जाये।
4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
5. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
6. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 241वीं बैठक दिनांक 25/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री संजय त्रिपाठी, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से री–रोल्ड प्रोडक्ट, एंगल, चैनल्स, बार आदि क्षमता 30,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 06/03/2016 को जारी की गई है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ शहर रायपुर 09 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 09 कि.मी. की दूरी पर है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 30 कि.मी. की दूरी पर है। खारुन नदी 04 कि.मी. की दूरी पर है।

- परियोजना के उत्तर दिशा में स्थल से लगा हुआ आर.एस.पी.एल लिमिटेड (घड़ी डिटर्जेंट) की बाडण्ड्री, मेसर्स दीपक इण्डस्ट्रीज 170 मीटर एवं मेसर्स सौरभ रोलिंग मिल 470 मीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण दिशा में स्थल से लगा हुआ मेसर्स ग्रैविटी ट्रैक्सिम (स्पंज ऑयरन प्लांट), मेसर्स ग्रैविटी फेरस प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) 80 मीटर, मेसर्स बंसल मेटालिक्स 100 मीटर, मेसर्स श्याम रोलिंग मिल 130 मीटर एवं मेसर्स गंगोत्री मेटल एण्ड एलॉयज लिमिटेड 270 मीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व दिशा में स्थल से लगा हुआ मेसर्स ग्रैविटी ट्रैक्सिम (स्पंज ऑयरन प्लांट)–पार्ट एवं मेसर्स ग्रैविटी फेरस प्राइवेट लिमिटेड 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा में मेसर्स सी. जी. मिनरल्स 40 मीटर एवं मेसर्स आशुतोष इंजीनियरिंग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है।

- 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** शेड का क्षेत्रफल 0.41 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.70 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.66 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

6. **रॉ–मटेरियल –** इंडक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन–56,905 टन/वर्ष, पिग आयरन / हैवी स्क्रेप–8,985 टन/वर्ष एवं फेरो एलॉयज–599 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। ऑनलाईन हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट मेटल–28,322 टन/वर्ष तथा कोल गैसीफायर आधारित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस आधारित री–रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में माइल्ड स्टील बिलेट–31,579 टन/वर्ष एवं कोल 3,000 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि स्पेशल स्टील रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन की दशा में स्पेशल स्टील बिलेट्स बाजार से लाया जाकर कोल गैसीफायर आधारित बिलेट री–हीटिंग

फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में रोल किया जावेगा। इंडक्शन फर्नेस एवं बिलेट री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

- वर्तमान में कोल गैसीफायर आधारित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस एवं रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन/वर्ष स्थापित एवं संचालित है। क्षमता विस्तार के तहत् अतिरिक्त बिलेट री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना प्रस्तावित नही है। वर्तमान में स्थापित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस का संचालन क्षमता विस्तार उपरांत भी किया जाएगा। वर्तमान में स्थापित कोल गैसीफायर को उन्नयन कर कोल की आवश्यकता 150 किलोग्राम/टन से कम कर 100 किलोग्राम/टन किया जायेगा।

- क्षमता विस्तार के तहत् इंडक्शन फर्नेसेस (03 गुणा 10 टन) क्षमता– 59,900 टन/वर्ष एंव हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता – 26,905 टन/वर्ष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इंडक्शन फर्नेसेस से प्राप्त 28,322 टन/वर्ष हॉट मेटल को हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल में उपयोग कर 26905 टन/वर्ष री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। इंडक्शन फर्नेसेस से प्राप्त शेष हॉट मेटल से उत्पादित बिलेट्स को वर्तमान में स्थापित कोल गैसीफायर आधारित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस में उपयोग कर री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जायेगा या बिलेट्स को मार्केट में विक्रय किया जायेगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् स्थापित वेट स्क्रबर के स्थान पर सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना प्रस्तावित नहीं की गई है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल–1198 टन /वर्ष, स्लेग – 8540 टन/वर्ष एवं मिस रोल एण्ड इण्ड कटिंग–1198 टन/वर्ष, रमिंग माश, टयुनडिश लिनिंग आदि –100 टन/वर्ष, कोल टार 65 टन/वर्ष एवं कोल ऐश 1130 टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉय इकाईयों को विक्रय जायेगा। स्लेग को मेटल रिकव्हरी युनिट्स को उपलब्ध कराया जायेगा। मिस रोल एण्ड इण्ड कटिंग को री–मेल्टिंग अथवा बाजार को विक्रय जायेगा। रमिंग माश, टयुनडिश लिनिंग का री–साइक्लिंग इकाईयो अथवा ईंट निर्माण को उपलब्ध कराया जायेगा। कोल टार अधिकृत उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा। कोल ऐश ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – स्थापित परियोजना हेतु 27 घनमीटर/दिन (घरेलू उपयोग हेतु 01 घनमीटर./दिन एवं अन्य उपयोग हेतु 26 घनमीटर/दिन) जल की खपत है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 49 घनमीटर/दिन (घरेलू उपयोग हेतु 05 घनमीटर/दिन एवं अन्य हेतु 44 घनमीटर/दिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना प्रस्तावित है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जावेगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन –** उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 05 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 03 मीटर एवं गहराई 10 मीटर) निर्मित किया जावेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता 13,340 घनमीटर होगी।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी –** सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2.25 टन/वर्ष है। प्रस्तावित सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2.203 टन/वर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में इकाई से कुल 3295 टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् कुल 12131 टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। इस प्रकार

क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 12 मेगॉवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जावेगी।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया कि वर्तमान में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल का 0.66 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/12/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया हैः–

> ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।
3. प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्षमता जल उपभोग की मात्रा से काफी कम है। इसकी क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

8. मेसर्स इस्कॉन स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुमा, तहसील व जिला–रायपुर (628)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 67402/ 2017, दिनांक 12/08/2017।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक संचालित उद्योग है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 469/6, 469/7 एवं 469/8, कुल एरिया–1.207 हेक्टेयर, ग्राम–गुमा, तहसील व जिला–रायपुर में थ्रु बिलेट री–हीटिंग फर्नेस री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता– 30,000 से 50,000 टन/वर्ष (क्षमता विस्तार उपरांत) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का कुल विनियोग रुपये 867 लाख प्रस्तावित होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 30/08/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गयाः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 235वीं बैठक दिनांक 08/09/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री पाना लाल बंसल, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति द्वारा पूर्व में वांछित जानकारी प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा नस्ती/प्रस्तुत की गई जानकारी का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार नोट किया गयाः–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रोलिंग मिल 30,000 टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है, जो दिनांक 31/03/2018 तक की अवधि हेतु वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ शहर रायपुर 07 कि.मी. की दूरी में स्थित है। स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा माना, रायपुर 20 कि.मी., रेल्वे स्टेशन रायपुर 07 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

- उद्योग ग्राम–गुमा में स्थित है। उद्योग के चारों ओर औद्योगिक इकाईयां स्थापित है। उद्योग के बाउंड्री से लगकर ही उत्तर दिशा में मेसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 50 मीटर की दूरी पर मेसर्स धन कुबेर एग्रो इण्डस्ट्रीज, 120 मीटर की दूरी पर मेसर्स औरा इनकॉर्पोरेशन एवं 155 मीटर की दूरी पर मेसर्स ओम किरन इस्पात उद्योग है। पूर्व दिशा में 300 मीटर की दूरी पर मेसर्स शिवम ओवर्सीस, 615 मीटर की दूरी पर मेसर्स श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज एवं 686 मीटर की दूरी पर मेसर्स जय बालाजी प्रोसेसिंग है। उद्योग के पश्चिम दिशा में 60 मीटर की दूरी पर मेसर्स वी.जी. इण्डस्ट्रीज एवं 150 मीटर की दूरी पर मेसर्स श्रीनिवास मारुती स्टील प्राईवेट लिमिटेड है। उद्योग के बाउंड्री से लगकर ही दक्षिण दिशा में मेसर्स संजय इलेक्ट्रिकल पेनल यूनिट, 60 मीटर की दूरी पर मेसर्स राजराजेश्वरी राईस इण्डस्ट्रीज, 190 मीटर की दूरी पर मेसर्स स्वास्तिक फ्लेक्सिबल एवं 230 मीटर की दूरी पर मेसर्स स्वराज माज़दा स्थित है।

- 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** शेड का क्षेत्रफल 0.41 हेक्टेयर, रोड एव पेव्ड क्षेत्र 0.149 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.398 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 1.207 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

4. **रॉ–मटेरियल –** रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में इंगाट्स/बिलेट्स – 52,250 टन/वर्ष एवं कोल– 5,000 टन/वर्ष / फर्नेस ऑयल– 1,750 घनमीटर/ वर्ष का उपयोग कर रोल्ड प्रोडक्स का उत्पादन किया जावेगा। रॉ–मटेरियल्स का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

- वर्तमान में क्लीन टेक्नॉलाजी गैसीफॉयर आधारित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल क्षमता 10 टन/घंटा स्थापित एवं कार्यरत है। क्षमता विस्तार के तहत् अतिरिक्त बिलेट री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की जावेगी। क्षमता विस्तार उपरांत अर्थात री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स–50,000 टन/वर्ष का उत्पादन करने हेतु स्थापित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस के कार्य समय में वृद्धि

(01 शिफ्ट से बढ़ाकर 02 शिफ्ट) एवं री–हीटिंग फर्नेस के डिजाईन में मॉडिफिकेशन किया जाना प्रस्तावित है।

- वर्तमान में कोयला 150 कि.ग्रा./टन अथवा फर्नेस ऑयल 60 लीटर/टन की आवश्यकता होती है। क्षमता विस्तार के पश्चात् उद्योग में कोयला 100 कि.ग्रा. /टन अथवा फर्नेस ऑयल 35 लीटर/टन की आवश्यकता होगी।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार उपरांत वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु उच्च क्षमता का एस.एस. वेट स्क्रबर एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 45 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल – 1,500 टन / वर्ष, मिस रोल – 1,500 टन/ वर्ष, कोल ऐश 1,750 टन/ वर्ष एवं टार – 50 घनमीटर/ वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉयज निर्माण इकाईयों को विक्रय जायेगा। मिस रोल को मिनी स्टील प्लांट इकाईयों में उपयोग हेतु विक्रय किया जायेगा। कोल ऐश को ईट निर्माण इकाईयों को दिया जावेगा। टार को अधिकृत रिसायक्लर को दिया जावेगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत –** स्थापित परियोजना हेतु 06 घनमीटर/दिन (घरेलु उपयोग हेतु 02 घनमीटर/दिन एवं अन्य हेतु 04 घनमीटर/दिन) जल की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 10 घनमीटर/दिन (घरेलु उपयोग हेतु 02 घनमीटर/दिन एवं अन्य हेतु 08 घनमीटर/दिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जावेगी। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण –** घरेलु दूषित जल की मात्रा 01 घनमीटर/दिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुर्नउपयोग किया जावेगा। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी –** सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2.25 टन / वर्ष है। प्रस्तावित उच्च क्षमता का एस.एस. वेट स्क्रबर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 45 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2.25 टन / वर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान

में इकाई से 3,420 टन / वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् 4,800 टन / वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होगी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

10. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 0.95 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एकॉस्टिकली प्रुफ इंक्लोजर में स्थापित करना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.398 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। वर्तमान में 80 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं वर्ष 2017–18 में 920 नग पौधे रोपित किया जावेगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।
2. उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी एवं सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी मंगाई जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/10/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 13/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया हैः–

1. ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''
2. एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/10/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

   - **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा

निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 03 नग (व्यास 01 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) रिचार्ज स्ट्रक्चर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता 8962 घनमीटर होगी।

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया किः–

1. वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 45 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा यथावत है। अतः डस्ट उत्सर्जन से प्रदूषण भार को कम करने हेतु गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाये।
3. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरुण प्रसाद)
सचिव,
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति,
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति,
छत्तीसगढ़